राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(10) छात्र. पो./सान्याअवि/2019-20/ 1639 दिनांक : 08/5/2020

रजिस्ट्रार/डीन/प्रशासक/निदेशक
राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल,
राजस्थान

विषय : विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/ DTNT) के लिए संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत होने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (SC/ST/OBC/SBC/EBC/CM/DTNT) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन पेपरलैस पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकृत महाविद्यालयो/शिक्षण संस्थानों सत्र 2018-19 एवं 2019-20 की मान्यता/सम्बद्धता सत्यापन के दौरान अधिकांश शिक्षण संस्थाओं द्वारा अवगत कराया है कि संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उक्त सत्र की मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं की गई है।

चूंकि छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति आवेदन से संबंधित शैक्षणिक सत्र में संस्था की मान्यता अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों को नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता शीध्र प्रदान कराने का श्रम करें ताकि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृति जारी की जा सके। नियत अवधि में शिक्षण संस्थाओं को मान्यता/सम्बद्धता जारी नहीं किये जाने की स्थिति में न्यायालय/आयोग द्वारा यदि किसी प्रकार की छात्रवृति संबंधी देयता का निर्धारण किया जाता है तो सम्पूर्ण देयता संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल की होगी। छात्रवृति पोर्टल पर अनियमित महाविद्यालय पंजीकृत पाये जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

7/5/20

निदेशक

Scanned with CamScanner